राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ 1(21)परि/स्था/मु/2010/ 45855 जयपुर, दिनांक 03/4/14

कार्यालय आदेश संख्या 09

वित्त विभाग की आई.डी संख्या 161301313 दिनांक 16.09.2013 की पालना में विभागीय आदेश एफ 1(21)परि/स्था/मु./2010/33148 दिनांक 19.09.2013 द्वारा परिवहन विभाग में संभागीय मुख्यालयों पर अपर परिवहन आयुक्त के पद सृजित किये गये थे। इस क्रम में इन पदों के क्षेत्राधिकार एवं कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में जारी किये गए कार्यालय आदेश संख्या 32/2013 क्रमांक: एफ 1(21)परि/स्था/मु./2010/34009 दिनांक 01.10.2013 को अतिक्रमित करते हुए संलग्न तालिका के अनुसार क्षेत्राधिकार तथा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

क्र.सं	पदनाम	क्षेत्राधिकार
1.	अपर परिवहन आयुक्त जयपुर जोन	जयपुर/(उत्तर)/(दक्षिण) रीजन तथा इस क्षेत्र में प्रवर्तन कार्य
2.	अपर परिवहन आयुक्त जोधपुर जोन	जोधपुर एवं पाली रीजन तथा इस क्षेत्र में प्रवर्तन कार्य
3.	अपर परिवहन आयुक्त उदयपुर जोन	उदयपुर एवं चित्तौडगढ़ रीजन तथा इस क्षेत्र में प्रवर्तन कार्य
4.	अपर परिवहन आयुक्त कोटा जोन	कोटा एवं दौसा रीजन तथा इस क्षेत्र में प्रवर्तन कार्य
5.	अपर परिवहन आयुक्त बीकानेर जोन	बीकानेर एवं सीकर रीजन तथा इस क्षेत्र में प्रवर्तन कार्य
6.	अपर परिवहन आयुक्त अजमेर जोन	अजमेर रीजन तथा इस क्षेत्र में प्रवर्तन कार्य
7.	अपर परिवहन आयुक्त भरतपुर जोन	भरतपुर एवं अलवर रीजन तथा इस क्षेत्र में प्रवर्तन कार्य

उपरोक्तानुसार अपर परिवहन आयुक्त द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जायेंगे:–

1. अपर परिवहन आयुक्त जिस जिले में पदस्थापित होंगे उस जिले के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय को अपर परिवहन आयुक्त कार्यालय के रूप में जाना जाएगा एवं अपर परिवहन आयुक्त इसके कार्यालयाध्यक्ष होंगे। कार्यालयाध्यक्ष हेतु पदनामित करने के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं।
2. अपर परिवहन आयुक्त उनके जोन के अधीन समस्त परिवहन कार्यालयों के नियन्त्रक एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारी होंगे। जोन में पदस्थापित समस्त अधिकारियों एवं उनके कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारियों का प्रशासनिक एवं संस्थापन सम्बन्धित कार्य भी इनके अधीन रहेगा।
3. सडक सुरक्षा एवं प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित विभिन्न कार्य योजनाओं की क्रियान्विती भी इनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(मुकेश शर्मा)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: एफ 1(29)परि/स्था/39/पार्ट/ 11 5883 to 69 जयपुर, दिनांक 3/4/14

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री (मुख्यमंत्री), राज. जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राज. जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रेंज जयपुर/जोधपुर/अजमेर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा बीकानेर।
6. संबंधित जिला कलेक्टर।
7. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
8. उप शासन सचिव (वित्त व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान।
10. समस्त अधिकारीगण, परिवहन विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
11. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
12. संबंधित कोषाधिकारी।
13. समस्त शाखायें, परिवहन विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव